

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-व-15(7)आरपीए/जन/सैन्ट्रल बैण्ड/2025/3736

दिनांक:- 14-07-2025

ई-निविदा सूचना

संस्था स्थित सैन्ट्रल बैण्ड के कार्मिकों के लिए वर्दी क्रय किये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 14.07.2026 को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 27.07.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक www.eproc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड करके 27.07.2026 को दोपहर 3.00 बजे तक www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जा सकती है। दिनांक 27.07.2026 को तकनीकी निविदा सायं 03.30 बजे खोली जावेगी। निविदा की शर्तें एवं विवरण ई-निविदा की वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान सरकार राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rpa.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं:-

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु संक्षिप्त वर्णन	उपापन की वार्षिक अनुमानित लागत (राशि रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	RISL प्रसोसिंग शुल्क	प्री-बिड मीटिंग/सम्मेलन की दिनांक	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
	संस्था स्थित सैन्ट्रल बैण्ड के कार्मिकों के लिए वर्दी क्रय हेतु निविदा।	13,13,500/-	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत * (राशि 26270)	1000/- रु०	500/- रु०	21.07.26	27.07.26 3.30 बजे

इस निविदा के संबंध में प्री-बिड मीटिंग दिनांक 21.07.2026 को समय 03.00 बजे कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी इच्छुक बोलीदाता भाग ले सकते हैं।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में एवं राज्यस्तरीय समाचार पत्र में जिसका परिचालन 50 हजार प्रतियों से अधिक हो, में प्रकाशित करावें।
- समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित कराने का श्रम करें।
- निजी सहायक, निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
- निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
- प्रभारी लेखा शाखा/ जनरल शाखा/प्रभारी स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
- प्रोग्रामर आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा SPPP पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in), www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवम् शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।



।।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

- कार्य का नाम:- संस्था स्थित सेन्ट्रल बैंड के कार्मिकों के लिए वर्दी क्रय के लिए निविदा वर्ष 2026-27
- निविदा संख्या /2026-27 दिनांक.....
- निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जाएं।
- (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई-मेल सहित:-
.....
ई-मेल आई.डी.....
(ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....मोबाईल नं.....
- निविदा शुल्क हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रुपये 1000/- का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/रसीद संख्या/.....दिनांक.....संलग्न है।
- प्रबंधक निदेशक RISL के पक्ष में 500/-का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक..... संलग्न है।
- बोली प्रतिभूति हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि रु..... /-का बैंकर चैक/ड्राफ्ट संख्या..... दिनांकसंलग्न है।
- निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
- निविदा खुलने की तिथि से दसों की विधि मान्यता अवधि 90 दिवस होगी।
- निविदादाता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है:-

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा शुल्क के डी.डी./चैक नम्बर	
2.	निविदा बोली प्रतिभूति राशि डी.डी./चैक नम्बर	
3.	निविदा RISL शुल्क के डी.डी./चैक नम्बर	
4.	फर्म का नाम एवं डाक का पता ई-मेल सहित व मोबाईल नं.	
5.	किसी राजकीय कार्यालय/ विभाग में बैंड वर्दी से संबंधित सामग्री सप्लाई किये जाने का गत 02 वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं कार्यादेश की प्रति।	
6.	फर्म का GST पंजीयन प्रमाण पत्र	
7.	PAN Card फोटो प्रति	
8.	बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में वार्षिक औसत राशि 20.00 लाख का टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा टर्नओवर सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिस पर UDIN नंबर अंकित हो। बिना नम्बर के टर्नओवर प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।	
9.	बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में	



	राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए (राशि रुपये 100/-के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं के हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा) एवं अनुभव प्रमाण पत्र	
--	--	--

निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे।

निविदादाता अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने की

स्थिति में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।

11. निविदा सूचना संख्या /2026-27 दिनांकराजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है इसमें वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत है। निविदा की अन्य शर्तें, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है। इन समस्त पृष्ठों पर वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, तथा इनका पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित सेन्ट्रल बैंड के कार्मिकों के लिए वर्दी क्रय के लिए ई-निविदा हेतु आमंत्रित की जाने वाली बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तें :-

नोट:- निविदा की समस्त शर्त पढ़ना अनिवार्य है:-

1. बोलियाँ ऑनलाइन माध्यम से एकल पद्धति (द्वि-भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाता की बिड उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर बोलीदाताओं कि बिड निरस्त कर दी जावेगी, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दर एवं प्रकरण सक्षम समिति के चाहे जाने पर प्राप्त सैम्पल की गुणवत्ता के आधार पर लाभप्रद बोली का निर्धारण किया जावेगा।
3. ऑनलाईन प्रस्तुत की गई निविदा से संबंधित निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, निविदा शुल्क एवं निर्धारित धरोहर राशि के बैकर चैक/ई-ग्रास/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन कर अपलोड करना होगा एवं पुलिस अकादमी कार्यालय में भौतिक रूप से दिनांक 27.07.2026 को 03.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी। भौतिक दस्तावेज राजस्थान पुलिस अकादमी में सहायक निदेशक (प्रशासन) के निजी सहायक कक्ष में स्थित निविदा बॉक्स में डालने होंगे निर्धारित समय के पश्चात बॉक्स में डाला जाना अनुमत्त नहीं होगा तथा दिनांक 27.07.2026 को तकनीकी निविदा सायं 03.30 बजे खोली जावेगी।
4. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए।(राशि रुपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)
5. (गत तीन वित्तीय वर्ष 2022-2023, 2023-24 व 2024-25 के अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। तथा सनदी लेखाकार द्वारा टर्नओवर प्रमाण-पत्र (सी.ए. द्वारा जारी किये गये गए प्रमाण पत्र पर UDIN नम्बर अंकित हो) संलग्न करना अनिवार्य है।
6. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
7. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।(पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
8. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेन्सिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. प्री-बिड मिटिंग/ सम्मेलन में भाग लेने वाले संभावित बोली दाताओं द्वारा बैंड वर्दियों व सामान का सैम्पल प्रस्तुत करना होगा।



10. प्री-बिड मितिङ में भाग लेने वाले एवं सैम्पल प्रस्तुत करने वाले ही निविदा में भाग लेने हेतु पात्र माना जावेगा। तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक से पूर्व तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार सामाग्री के सैम्पल प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
11. तकनीकी बिड एवं सैम्पल में योग्यताधारी बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी जिनको पुथक से सूचित कर दिया जावेगा।
12. सफल बोलीदाताओं को दिये जाने वाले क्रयादेश के अनुसार नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी।
13. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त असफल बोलीदाताओं को उनके सैम्पल लौटा दिये जावेंगे।
14. वर्दी एवं अन्य आइटम निधारित स्पेशिफिकेशन एवं विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सिलाई एवं एम्ब्रोडिंग, जर्री का कार्य सहित तैयार कर निर्धारित अवधि में प्रदाय करना होगा।
15. बोली के साथ संलग्न A, B, C एवं D (बोली के साथ संलग्न A, B, C एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)
16. बोली के इच्छुक बोलीदाता को ई-बोली में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वेबसाईट <http://www-eproc-rajasthan-gov-in> पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी सी ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल ले सकते हैं। जिस बोलीदाता के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है। उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
17. बोलीदाताओं को बोली के साथ निर्धारित शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के रूप में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी/ई-बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)/नकद/ई-ग्रास चालान के माध्यम से उपापन संस्था में जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
19. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
20. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत की 5% (राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु आपूर्ति आदेश की 1%) की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। समस्त संविदाजात दायित्व संतोषजनक रूप से

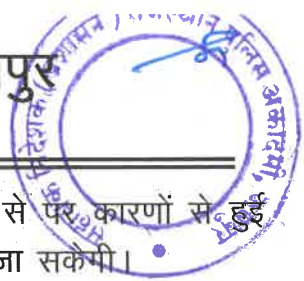


पूर्ण होने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संवेदक को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

21. संविदा अवधि में संवेदक एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
22. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे। अनुबन्ध अवधि के दौरान वर्दी की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29(2-ज) प्रभावी होगा।
23. उपाप्त की जाने वाली सामग्री/सामान हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयों में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
24. निविदा में भाग लेने वाली फर्म को वर्दी एवं संबंधित सामान का सैम्पल उपापन समिति/विभाग द्वारा निर्धारित कमेटी के मंगवाये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
25. सैम्पल की गुणवत्ता व कपड़े का प्रकार विभाग द्वारा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय बोली पर विचार किया जाएगा।
26. वर्दी की सिलाई से पूर्व फर्म को सभी कर्मचारियों के माप लेना होगा।
27. माप लेने एवं ट्रायल की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी।
28. सप्लाई की गई वर्दी का निरीक्षण संबंधित समिति द्वारा किया जाएगा।
29. सामग्री मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो उसे बदलना होगा।
30. आदेशित सामान/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी किये जाने के 45 दिवस में नहीं करने एवं अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित प्रावधानानुसार अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है एवं नियमानुसार वसूली की जायेगी।

नोट:-विलम्ब से सप्लाई करने पर परिनिर्धारित निम्नानुसार वसूली की जायेगी।

- | | |
|---|------|
| (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए | 2.5% |
| (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए | 5% |
| (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए | 7.5% |
| (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए | 10% |
- (1) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 - (2) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 - (3) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

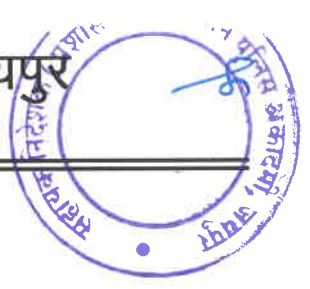


- (4) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से पर कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकती है।
31. संविदा अवधि में संवेदक एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
32. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कॉस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी, जो परिनिर्धारित नुकसानी के अतिरिक्त होगी।
33. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
34. बोली खुलने के पश्चात् यदि सफल/न्यूनतम बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ/आपूर्ति नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब कर बोलीदाता/संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
35. अनुबन्धकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/सामान को सही स्थिति में अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन में हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी। अकादमी द्वारा उक्त हेतु कोई भुगतान/हर्जाना देय नहीं होगा।
36. उपापन समिति, यदि चाहे तो उपापन की जाने वाली सामग्री का नमूना जाँच कर सकती है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं समिति के चाहे जाने पर अपेक्षित सामग्री का नमूना बोलीदाता को प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूने की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार की जा सकती हैं।
37. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
38. निविदा प्रारूप में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
39. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान/सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।



40. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।
41. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
42. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
43. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
44. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
45. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
46. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।


सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर



परिशिष्ट "द"(प्रथम)
निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेंट /प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट अ. ब: एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन नं.

परिशिष्ट "द" (द्वितीय)

शपथ पत्र

मैं:—

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता—

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



“वित्तीय प्रस्ताव”

1- Marching Dress Accesary With Specification

क्र.सं.	सामग्री विवरण	अनुमानित मात्रा	दर प्रति ड्रेस (एक मुशत)	जीएसटी	दर प्रति ड्रेस जीएसटी सहित	कुल योग जीएसटी सहित
	Marching Dress Accesary With Specification:- Coat Blue Wool Serge:- Specification- Gabardine with collar and calf embroidery work, and the front left flap shoulder straps to have golden colour corded epaulette with national emblem logo over the button. Pant Blue Wool Serge:- Specification- - trouser of blue gabardine serge with half inch golden piping on sides as for uniform coat. Epaulette Jawan(48)/Band Master(2):- Specification- golden zari epulate with brass screw button. Over button national emblem. - The Term Epullate Band Master typically refers to a set of Ceremonial uniform accessories and	50 नग				

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

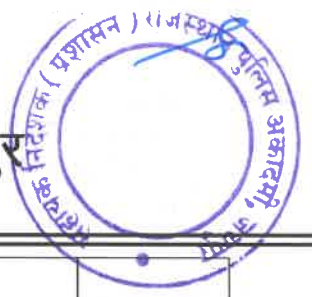
www.rpa.rajasthan.gov.in



instruments used by a bandleader or conductor in military or brass bands. In this context, “epullate” specifically refers to the signify rank and authority. With zari rank Lanyard Jawan(48)/ Band Master(2):- • Specification- Golden resmi dori and tail with brass fitting. Name Plate:- • Specification- with embroidery work with well crow fitting and golden writing name Raj Police Logo:- • Specification- Red cloth bass and on golden embroidery work. Soilder Motto's:- • Specification- Red bass back ground with golden emborodiery work. Blue P-Cap:- • Specification- Blue cotton cloth black peak with embroidery work with Rajasthan Police Logo.					
--	--	--	--	--	--

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Jhalar Patta:-

- **Specification-** red and blue mix colour.silk cloth approximately 6 inch width and a pallu with Zari work and rajasthan police logo.

Marching Shoe:-

- **Specification--** premium leather upper, polyurethane (PU) soles, and puncture-resistant. Used occasionally in ceremonial pared and band competition.

Belt Jawan/Band Master:-

- **Specification-**The Band Master Zari Belt is a high-visibility ceremonial accessory used by military, paramilitary and state police bands. It is typically characterized by golden embroidery, specific widths for formal display.

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Concert Dress Accesary With Sepecification

सामग्री विवरण	अनुमानित मात्रा	दर प्रति ड्रेस (एक मुश्त)	जीएसटी	दर प्रति जीएसटी सहित	कुल योग जीएसटी सहित
Concert Dress Accesary With Sepecification:- Coat Blue Wool:- • Specification- A blazer is a versatile, standalone jacket that provides a more structured and formal appearance than a sports coat but is less formal than a full suit. It is characterized by its distinct buttons, solid colors traditionally dark blue , and tailored fit that can be dressed up or down. Concert Shirt:- • Spefication- shirt of off white colour terelline cloth mix cotton	50 नग				

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Concert Pant:-

- **Spefication-** trouser of black gabardine serge for concert uniform coat.

Nack Tie for Officers/ Nack Tie for Jawan:-

- **Specification-** blue and red lined necktie typically measure 56-62 in length and 2.4-4.5 in width, often made from silk or polyester in length and in width. Used occasionally for concert

Red Patta:-

- **Specification-** red colour cotton cloth with bukaram approximately 6 inch width. Used occasionally for concert programme.

Shoe:-

- **Specification-**

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



	premium leather upper, polyurethane (PU) soles.					
--	--	--	--	--	--	--

नोट :-

1. जीएसटी (यदि लागू हो) नियमानुसार पृथक् से देय होगी।
2. निविदादाता द्वारा दी गई दरों में ढुलाई/परिवहन का चार्ज सम्मिलित होगा पृथक् से देय नहीं होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

मोबाइल/दूरभाष:-.....

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to the Notice Inviting Bid No..... DatedI/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement

Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal

.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer :.....
.....

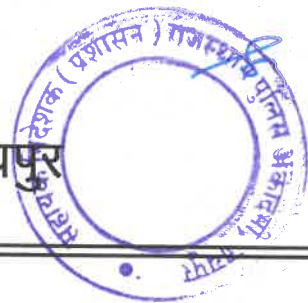
Place

Date

Appellants Signature

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



Annexure D: additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.

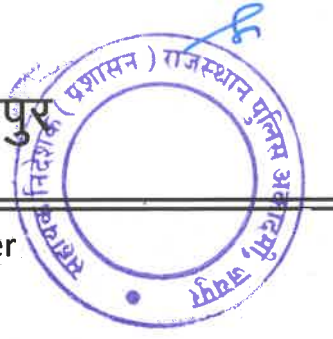
2. Correction of arithmetical errors

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) in case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the-second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर
www.rpa.rajasthan.gov.in



Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :